फार्म बी.एम.-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिये आवेदन

(संदर्भ बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखे)

जिस लेखाशीर्षक की बचत से पुनर्विनियोग प्रस्तावित है :- **(धनराशि लाख रू0 में)**

मानक मद (राजस्व पक्ष) (अनुदान संख्या-43)	बजट प्रावधान	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (3-4)
1	2	3	4	5
3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल की मद संख्या-01-वेतन	1255.00	160.91	47.00	113.91

जिस लेखाशीर्षक/मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है :- **(धनराशि लाख रू0 में)**

मानक मद (राजस्व पक्ष) (अनुदान संख्या-43)	बजट प्राविधान	जनवरी 2020 तक का व्यय (कोषवानी में अंकित)	प्रशा0 विभाग द्वारा पुनर्विर्नियोग हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग हेतु स्वीकृत धनराशि	औचित्य
6	7	8	9	10	11
3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल					
06-अन्य भत्ते	0.01	5.79 (रू0 6.65 लाख का व्यय प्रशा0 विभाग के अनुसार)	12.00	12.00	प्रशा0 विभाग द्वारा रू0 6.65 लाख व्यय के दृष्टिगत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

38-अन्तरिम सहायता	0.00	0.00 (रू0 12.59 लाख का व्यय प्रशा0 विभाग के अनुसार)	35.00	35.00	प्रशा0 विभाग द्वारा रू0 12.59 लाख के व्यय के दृष्टिगत
योग -	**250.16**	**67.64**	**160.91**	**47.00**	

(1) स्तम्भ-3 में बचत का कारण निम्नानुसार है :-

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा जनहित याचिका संख्या-4215/2018 में पारित निर्णय दिनांक 27.11.2018 के अनुपालन में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-165 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल द्वारा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल से सम्बन्धित मामलों के निस्तारण के लिये शासनादेश संख्या-77/तीस-3-2019 दिनांक 09.01.2019 द्वारा 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं अन्य जनपदों में एक-एक ट्रिब्युनल को क्रियान्वित किया जाना है।

अत: लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के अन्तर्गत वर्तमान में कतिपय एम0ए0सी0टी0 कार्यालयों/न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति न हो पाने के कारण मद संख्या-01-वेतन मद में रू0 160.91 लाख की बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

शासन के निर्देशानुसार 71 जनपदों में कुल 75 मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनलों की स्थापना का निर्णय लिया गया है, जिसके क्रम में लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं मेरठ में दो-दो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल एवं अन्य जनपदों में एक-एक ट्रिब्युनल को क्रियान्वित किया जाना है।

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के कार्यालय के संचालन हेतु लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-00-800-अन्य व्यय-03-मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल के अन्तर्गत कर्मचारियों की नियुक्ति सेवानिवृत्त कर्मचारियों से किये जाने के कारण उनके पारिश्रमिक के भुगतान हेतु मद संख्या-06-अन्य व्यय में रू0 12.00 लाख एवं मद संख्या-38-अन्तरिम सहायता हेतु रू0 35.00 लाख अर्थात कुल रू0 47.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता अनुमानित है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्वनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्ध/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-आर0ई0- 604 /ई-9-यू0ओ0-242 /दस-2020, दिनॉक 19 मार्च, 2020

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद।

(उदय वीर सिंह राठौर)
अनु सचिव,
वित्त विभाग।

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

संख्या- 22/2020/588 /तीस-3-20-6बी/2014टीसी, दिनॉक 27 मार्च, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस शर्त के साथ प्रेषित कि जिस मानक मद से पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया गया है, उसी मानक मद में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि के पुनर्विनियोग का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मानक मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस धनराशि का चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियों में)।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
संयुक्त सचिव,
परिवहन विभाग।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।